RAJYA SABHA

Wednesday, the 16th December, 1998/25 Agrahayana, 1920 (Saka)

The House met at at eleven of the lock.

Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Rajiv-Longowal Accord

*241. SHRI KARTAR SINGH DUGGAL: Will the Minister, of HOME AFFAIRS be pleased to state:

- (a) whether the Rajiv-Longowal accord is dead or alive;
- (b) if alive, further steps have been taken to implement its unattinded clauses; and
- (c) what is the latest position of Chandigarh disputed territory?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L. K. ADVANI):
(a) and (b) Rajiv-Longowal Accord was signed on 24-7-1985 and its implementation was started immediately thereafter. The Accord included 11 items, of which only three items viz. All India Gurdwaras Act, Territorial Claims, and Sharing of River Water remain to be implemented.

The Government of India is committed to resolving the outstanding issues and to strive for a comprehensive settlement. Sincere efforts are being continued to find an accepable screen in consultation with concerner parties.

(c) No decision has been taken so far in his regard. The Govt. of India would like the concerned State Governments to sort out the differences over the issue amicably and would be willing to help in the matter.

SHRI KARTAR SINGH DUG-GAL: Sir, the hon. Minister's reply, to say the least, is disappointing. I had asked this question in the last session also and the reply given was that the remaining items on Accord were being attended But evidently nothing has been done in that respect. It only shows the concern of the so-called Buddhijeevis who stand in Punjab for and Hindu-Sikh amity. Now that the party in power at the Centre close and intimate relations with the Government in Punjab. It is a golden opportunity for them to get together and solve the outstanding problems.

As it is, Sir, the Gurdwaras Act should not pose any problem cause the Gurdwaras outside Punjab are like a property of a Puniabi having a house in Delhi. He can administer that property the way he likes. The Gurdwara at Saheb was destroyed completely in 1834 in an earthquake. It was constructed by Maharaja Ranjit Singh in 1839. Again in 1934 the Gurdwara was destroyd in an earthquake. It was rebuilt by the Chief Khalsa Diwani, the Sikh Gurdwara Prabandhak Committee and other Sikh organisations. Its udghatan was done by Maharaja of Patiala, Yadavendra Singh. Similarly, Gurdwara at Nanded was constructed in 1839 by Maharaia Raniit Sikh Singh. Originally, when the Misls came into power, they sent a Jatha and took over the shrine and then the building came up. It happened that Maharaja Ranjit Singh was invited by the Nawab of Hyderabad to help the State in problem which they had in the State. The Maharaia sent a force 121,000 soldiers along with a Jatha of Sikhs and also gave Rs. 5 lakbs. They constructed a building there.

MR. CHAIRMAN: What is your specific question?

SHRI KARTAR SINGH DUG-GAL: Sir, my quesion is this. These Gurudwaras belong to Punjab. Therefore, there should be no difficulty in allowing the All India Gurdwaras Act to administer all the Gurdwaras.

SHRI L. K. ADVANI: Sir, the question which the hon. Member has posed relates to the agreement in the Accord about framing an All India Gurdwaras Act. We have inherited this Accord. Even the then Government at that time, felt that it was necessary to consult the concerned State Governments there are Gurdwaras. I would like to inform the House that the States of Harvana. Maharashtra Orissa opposed the legislation on this issue. Several other States, like Bihar, which is also concerned with the matter did not offer any comments. Maybe, they had reservations. Even though the Gurdwaras manned and administered by representatives of the Sikh community. If an All India Gurdwaras Act has to be undertaken the concerned States is essential. So far our Government is concerned. would pursue the same course. We had reservations when the was signed. We had expressed our signed. We had expressed reservations. Today, I want to say that my Government stands by the Accord and the Government would try to see that the outstanding issues are also sorted out in a manner which is acceptable That is all I can say.

SHRI KARTAR SINGH DUG-GAL: Sir, the other two issue are river water dispute and territorial dispute. So far as the river water dispute is concerned, according to the Indus Water Treaty of 1955, Punjab was to get 7.20 M.A.F. of water. At the time of reorganisation of Punjab in 1966 it was decided that water would be divided between Punjab and Haryana on a mu-

tually agreement basis. But if they fail to come to an agreement. Union Government would decided the share. They failed to come an agreement. During the Emergency, Shrimati Indira Gandhi decided that 0.20 M.A.F. of water may be given to Delhi for drinking purpose and the rest 7 M.A.F. of water may be divided between Punjab and Haryana, But this was not acceptable to Punjab. There was a stalemate. The Punjab represented this issue during the regime of Shri Morarii Desai. At that time, agreed that the was should referred to pute be Supreme Court. Before the the Supreme Court could give its decision. Shrimati Gandhi came to power again and ordered that the case may be withdrawn from the Supreme Court. Sir, since no headway has been made, why can't this case be referred to the Supreme again?

SHRI L. K. ADVANI: Sir, our experience in respect of disputes of this nature is — well, the final arbiter is, of course, the judiciary as has been illustrated by what was achieved in the matter of the Cauvery, perhaps, if the States sit gether along with the Central Government, that will be better Given the goodwill of all and the good wishes of this House, maybe, what was achieved in case of Cauvery, may be achieved in the case of the river water dispute here. But it has to be appreciated that even those who had signed the accord have found it difficult since the last so many years to sort out the differences amongst Punjab, Haryana and Rajasthan, namely, the principal States. We would, however, exert in this direction.

श्री रामजीलाल: : सभापति जी, धन्यवाद। मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि कल मद 11 थे और 11 मद में से

8 मद का फैसला हो चका है। मैं ग्रापके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहुंगा कि वे 8 मद कौन-कौन सी है जिनका फ़ैसला हो चुका है ? जो तीन मदबाकी हैं उनके बारे में श्रापने बताया ही हैं। इसके बारे में, मैं कहना चाहगा—-जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि फैसला तो 15 साल पहले हुआ था कि हरियाणा को 3 84 एमएएक पानी दिया जाएना ग्रीर उस वक्त पंजाब में प्रकाली सरकार थी. बादल साहब सी०एम० थे और ऋब भी हैं। हरियाणा नें 2 करोड़ रुपये पंजाब को नहर खोदने के लिए, जमीन एक्वायर करने के लिए दिए और हरियाणा ने अपनी 122 किलोमीटर नहर बना ली है। कहने का तत्पर्थ यह है कि पंजाब का पानी पाकिस्तान को जा रहा है जबकि हमारी पोलिसी है कि 10 साल में ग्रापने प्रोडक्शन को दुग्ना करेंगे। इसलिए जल्दी से जल्दी पानी का मसला हल होना चाहिए क्यों कि देश की ग्रांबादी बढ़ रही है। म्राबादी के हिसाव से हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है और अभी भी हमारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। क्या मंत्री जी इस मामले को जल्दी से कोई हल निकालेंगे?

श्री लाल कृष्ण साडवाणी : हमारी वाटर रिसोर्सस मिनिस्ट्री इस मामले में कोशिश कर रही है कि इस बात का भी समझौता हो जाए श्रीर सरप्लस राबी-ब्यास वाटर जो है वह हरियाणा को भी प्राप्त हो और जो धानी व्ययं चला जा रहा है वह न जाए, इस विशा में प्रयत्न चल रहे हैं।

भी रामजीताल: आप 8 मदों उनके नाम बताएं जिन 8 मदों का फैसला हो चुका है वह कौन-कौन सी हैं ? भ्रापने कहा है 11 मदों में से 8 मदों पर फैसला हो चुका है भीर तीन बकाया हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: में ग्रयर 8 मदो के नाम पिनाऊ तो मौटे तौर पर पहला है—

compensation to innocent persons killed;

दूसरा है-

in the matter of army recruitment; तीमरा है—

in the matter of inquiry into November incidents:

नेथा है rehabilitation of those discharged from the Army;

पांचवां है--disposal of **pend**ing **cases;** छठा है---

Centre-State relations;

सातवां है---

representation of minorities; and

ग्रांठवां है—

promotion of Punjabi language.

श्री कुलबीप नैयर : क्या मंती जी यह बताएगे कि उस वक्त जब यह समझौता हुआ था, एक यह भी अंडरस्टेंडिंग थी कि रामगढ़ में जो सिपाही डिसीप्लीन के बाहर गए तो उनके साथ अच्छा बतांव किया जाएगा । म यह जानना चाहता हूं कि बाद में कितने सोरजर्स को वापस लिया गया और कितने सभी तक बाहर हैं या उनको क्या-वया सजा दी गई?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अकार्ड करले समय राजीव सरकार और लोंगोबाल जी के बीच – इस प्रकार का कोई समझौता हुआ था या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसके बारे में मुझे जानकारी करनी पड़ेगी.... I am replying in this House on the basis of the records available. But I will, certainly, find o ut in this regard.

श्री गया सिंह : माननीय सभापति जी, मैं इस सवाल के लास्ट पार्ट के बारे में मंदी जी से मह जानना चाहता हूं कि अभी पंजाब में अकाली सरकार है अभीए हरियाणा में ग्रापकी सपोर्टर सरकार है फिर यह चण्डीगढ़ का सवाल ग्रभी तक हल क्यों नहीं हुग्रा है ?

श्री लाल कृष्ण श्राडवाणी: मैं समझता हं कि जिस समय हमारी यह सरकार बनी थी, उस समय भी इस चर्चा का थोड़ा सा उल्लेख हुआ था जब हम अपना नेजनल एजेंडा बना रहे थे और तब भी हमारी ग्रोर से सबको यह कहा गया कि इन्टर स्टेट डिसप्यूट इस सरकार के माध्यम से हल करेंगे, ऐसा सोचना उपयुक्त नहीं होगा । इसलिए जितने सारे ऐसे इन्टर स्टेट प्राब्लम्स थे, जनका जिन्न हमने एजेंडा में नहीं किया क्योंकि हरेक का मपना-अपना दृष्टिकोण था । लेकिन बावजूद इसके यह बात तो सही है कि यह डिसप्यूट्स सार्ट आईट हो जाए तो यह देश के हित में होगा । हमारी इस सरकार का एजेंडा न होते हुए भी हमारा इस दिशा में जठर प्रयास होगा कि ये सरकारें और उनके प्रतिनिधि बैठकर के इसको हल करें।

*242. (The questioner (Shri Karnendu Bhattacharjee) was absent, for Answer, vide col....infra.)

*243. (The questioner (Dr. Alladi P. Rajkumar) was absent for Answer, vide col. . . infra)

कारगिल तथा उसके भ्रासबपास के गांवों की सुरक्षा

*244 श्री कुशोक नवांग चम्बा स्तनजिन: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की क्रुपा करेंगे कि :

- (क) कारगिल शहर तथा उसके ग्रास-पास के गांवों के लोगों को इन क्षेत्रों में हो रही पाक्सितानी गोलाबारी से संरक्षण देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ;
- (ख) कारगिल-दरस राजमार्ग को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय किए जा रहें हैं ; भीर
- (ग) क्या ज्यादा समय तक खूले रहने वाले स्पीति-किवर (एच०पी०) से होते हुए एक नई सड़क के निर्माण हेतु, जिसके लिए लहाख के लोगों द्वारा कई बार अनुरोध किया गया है, सरकार द्वारा कोई टोस कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज कर्नांडीज) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र मदन के पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

भारतीय सेना पाकिस्तान की स्रोर ने की जाने वाली किसी भी प्रकार की गोलाबारी का समुचित जवाब देती है। हमारी तोवें प्रभावी गोलाबारी करके दुश्मन की शस्त्र-प्रणालियों को अवरूब निष्प्रभावी कर देती हैं। इसके स्रतिरिक्त, सिबिलियन ब्राबादी को संरक्षण दिए जाने को ध्यान में रखते हुए सिविल प्रशासन विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आश्रय और बंकर उपलब्ध कराता है।

कारिंगल-दरस राजमार्ग की सुरक्षा के लिखित उपाय किए जा रहे हैं :--

- (क) जिन क्षेत्रों में पाकिस्तान प्रभावी गोलाबारी करता है, उनके पास से स्थानीय उप-मार्ग बनाने ग्रीर दीवारें खड़ी करने की योंजना बनाई गई है तथा इस कार्य का एक भाग पुरा भी हो चुका है।
 - (ख) किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने के लिए ग्रापूर्ति कारवाई भीर ग्रन्थ प्रकार के वाहनों का आवागमन सेन। इारा विनियमित किया जाता है।
 - (ग) दरस-उम्बाला-शब्-कारगिल से गुजरते हुए एक बड़े उप-नार्ग के निर्माण की योजना बनाई गई है। इस उप-मार्ग के छ: किलोमीटर तक का निर्माण-कार्य पूरा हो चुका है।

इस समय लेह से मनाजी तक किसी प्रकार की नई सड़क बनाते का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री कुशोक ग्रवांग चन्द्र। स्तनजिन : चेयरमैन सर, पिछले एक साल से कारगिल शहर व इसके श्रास-पास के गांवों में पाकिस्तान की ग्रोर से लगातार गोलाबारी हो रही है जिसकी वजह सै वहां के लोगों को वहत तकलीफ उठानी पड़ रही है। वहां पर जान-माल का भी नुकसान हो रहा है। मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से चंद सवाल करना चाहंगा। पहला यह है कि सरकार की ओर से कारगिल शहर ग्रौर उसके पास के गांबों को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ? दूसरा सवाल यह है कि सरकार की ओर से कारगिल-दरास-हाईवे को सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाए किए जा रहे हैं तीसरा सवाल है लेह-श्रीनगर और लेह-मनाली हाईवे सात महीने के लिए बन्द हो जाने के कारण देश के द्सारे इल कों से कटा रहता है। इसक लिए लददाख के बहुत सारे सिथासतीं और धार्मिक संस्थाओं ने बहुत बार सैंग्ट्र-गर्वमेंट से यह अन्रोध किया कि स्पीनी किबर, जो हिमाचल प्रदेश काएक जिला